Report on the Mediation "for the Nation" Campaign

The Mediation "for the Nation" campaign (90 days Mediation drive to settle pending cases in all Taluk Courts, District Courts and High Courts of India) is a pioneering initiative launched jointly by the Hon'ble National Legal Services Authority (NALSA) and Mediation and Conciliation Project Committee (MCPC) of the Hon'ble Supreme Court of India. The primary objective of the campaign is to promote mediation as a cost-effective, time-saving, and harmonious method of dispute resolution across the country.

The District Legal Services Authority (DLSA), Dhanbad actively started Preparatory Activities as mentioned under:

- Meetings were convened by the Ld. Principal District & Sessions Judge with the Referral Judges and Empanelled Mediators to discuss the strategy and implementation of the campaign like identifying suitable cases for mediation, increasing awareness among litigants, and ensuring prompt referral of appropriate disputes. The Ld. Judicial Officers were encouraged to make proactive referrals, especially in pre-litigation and pending matters suitable for mediation.
- Mediators were briefed on their roles, responsibilities, and the objectives of the campaign.
- DLSA, Dhanbad undertook publicity and outreach activities to ensure the campaign reached the maximum number of citizens such as Banners, Hoardings, and Standees were displayed at prominent public locations including court premises. Press releases and articles were published in local newspapers highlighting the campaign, its significance, and ongoing activities. Further, to ensure greater digital reach, DLSA Dhanbad utilized popular social media platforms such as Instagram Reel , Facebook Video , YouTube Video to enhance public awareness and participation.

As on date, the number of referrals and cases settled at Mediation Centre, Dhanbad is as follows :

Number of cases referred	96
Number of cases settled	18

The DLSA, Dhanbad will ensure optimal results for the aforesaid campaign with active support from Referral Judges, trained mediators, and comprehensive outreach.

District Legal Services Authority, Dhanbad

Pictorials & Newspaper clippings of the project

District Legal Services Authority, Dhanbad

District Legal Services Authority, Dhanbad

District Legal Services Authority, Dhanbad

विवादों के निपटारे के लिये 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम हुआ लॉच

दबंग हिन्द, संवाददाता

विवाद नहीं संवाद से बनेगा राष्ट्र मजबूत-प्रधान न्यायाधीश

धनबाद। समाज में बढ़ रहे लगातार विवादों को की संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्देश पर पूरे भारत में 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम की शुरूआत की गई। नालसा एवं झालसा के निर्देश पर धनबाद में भी इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है। इसी कड़ी में गुरुवार को धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने धनबाद जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुलह के योग्य मुकदमों को मध्यस्थता के लिए भेजने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि.यह अभियान विभिन्न प्रकार के विवादों जैसे वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण और मध्यस्थता योग्य दीवानी मामले जिनका समाधान मध्यस्थता के जरिए निकालने का प्रयास किया जाएगा. वहीं इस कार्यक्रम के बाबत जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि बढ़ते विवादों की संख्या को देखते हुए नालसा द्वारा राष्ट्र के लिए मध्यस्थता एक विशेष अभियान की शुरूआत एक जुलाई पच्चीस से की गयी है की गई है जो 30 सितंबर तक चलाई जाएगी.इस अभियान में, पक्षकारों की सुविधा के लिए, सप्ताह के सातों दिन मध्यस्थता द्वारा मुकदमों के निपटाने के प्रयास किए जाएंगे। 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2025 तक, न्यायालय अपनी कारण सूची से विशेष मध्यस्थता अभियान के लिए पात्र मामलों की पहचान और सूची बनाएगा और इस अवधि में निपटारे की संभावना वाले मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा ।मध्यस्थता की कार्यवाही ऑफलाइन, ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में आयोजित की जा सकती है . ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण ऑनलाइन मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करेगा। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री सुभाष , प्रधान न्यायाधीश प्रथम मनीष रंजन , प्रधान न्यायाधीश कमलेश कुमार शुक्ला , विजय कुमार श्रीवास्तव , दुर्गेश चंद्र अवस्थी , अपर मुख्य नायक दंडाधिकारी पार्थ सारथी घोष , सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो एवं सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे।

The nation will be strengthened by dialogue, not by disputes

DN ■ Dhanbad

In view of the increasing number of disputes in the society, on the instructions of National Legal Services Authority NALSA, a 90-day mediation program for the nation was started across India. On the instructions of NALSA and JHALSA, this program was also launched in Dhanbad. Its main objective is to resolve as many disputes as possible through mediation. In this connection, on Thursday, Dhanbad's Chief District and Sessions Judge Virendra Kumar Tiwari held a meeting with all the judicial officers of Dhanbad district and directed to send as many cases as possible which are reconcilable for mediation. On this occasion, he said that this campaign will try to resolve various types of disputes like matrimonial disputes, accident claims, domestic violence, cheque bounce, commercial disputes, service matters, reconcilable criminal cases, consumer disputes, loan recovery, partition, eviction, land acquisition and mediatable civil cases, which will be resolved through mediation. While giving information about this program, Additional Judge cum Secretary District Legal Services Authority Mayank Tushar Topno said that in view of the increasing number of disputes, NALSA has started a special campaign of mediation for the nation from July 1, 25, which will run till September 30. In this campaign, for the convenience of the parties, efforts will be made to settle the cases through mediation seven days a week. From July 1 to July 31, 2025, the court will identify and list the cases eligible for the special mediation campaign from its cause list and the cases likely to be settled during this period will be sent for mediation.

District Legal Services Authority, Dhanbad

विवादों के निपटारे के लिये 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम हुआ लॉच

विवाद नहीं संवाद से बनेगा राष्ट्र:प्रधान न्यायाधीश

बिभा संवाददाता

धनबाद। धनबाद के प्रधान न्यायाधीश ने जजों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में बढ़ रहे लगातार विवादों की संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्देश पर पूरे भारत में 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम की शुरूआत की गई नालसा एवं झालसा के निर्देश पर धनबाद में भी इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है. इसी कड़ी में गुरुवार को धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने धनबाद जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुलह के योग्य मुकदमों को मध्यस्थता के लिए भेजने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि.यह अभियान विभिन्न प्रकार के विवादों जैसे वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण और मध्यस्थता योग्य दीवानी मामले जिनका समाधान मध्यस्थता के जरिए निकालने का प्रयास किया जाएगा. वहीं इस कार्यक्रम के बाबत जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि बढ़ते विवादों की संख्या को देखते हुए नालसा द्वारा राष्ट्र के लिए मध्यस्थता एक विशेष अभियान की शुरूआत एक जुलाई पच्चीस से की गयी है की गई है जो 30 सितंबर तक चलाई जाएगी।

1 जुलाई से 31 जुलाई, 2025 तक, न्यायालय अपनी कारण सूची से विशेष मध्यस्थता अभियान के लिए पात्र मामलों की पहचान और सूची बनाएंगे, मध्यस्थता की कार्यवाही ऑफ लाइन, ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री सुभाष , प्रधान न्यायाधीश प्रथम मनीष रंजन , प्रधान न्यायाधीश कमलेश कुमार शुक्ला , विजय कुमार श्रीवास्तव , दुर्गेश चंद्र अवस्थी , अपर मुख्य नायक दंडाधिकारी पार्थ सारथी घोष , सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो एवं सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे.

विवाद नहीं संवाद से बनेगा राष्ट्र मजबूतः प्रधान न्यायाधीश

विवादों के निपटारे के लिये 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम हुआ लॉच

राष्ट्रीय मुख्यधाराः राजीव रंजन

धनबादः समाज में बढ़ रहे लगातार विवादों को की संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्देश पर पूरे भारत में 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम की शुरुआत की गई नालसा एवं झालसा के निर्देश पर धनबाद में भी इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है। इसी कड़ी में गुरुवार को धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने धनबाद जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुलह के योग्य मुकदमों को मध्यस्थता के लिए भेजने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान विभिन्न प्रकार के विवादों जैसे वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण और मध्यस्थता योग्य दीवानी मामले जिनका समाधान मध्यस्थता के जरिए निकालने का प्रयास किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम के बाबत जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि बढ़ते विवादों की संख्या को देखते हुए नालसा द्वारा राष्ट्र के लिए मध्यस्थता एक विशेष अभियान की शुरुआत एक जुलाई 2025 से की गयी है की गई है जो 30 सितंबर 2025 तक चलाई जाएगी। इस अभियान में, पक्षकारों की सुविधा के लिए, सप्ताह के सातों दिन मध्यस्थता द्वारा मुकदमों के निपटाने के प्रयास किए जाएंगे।

1 जुलाई से 31 जुलाई, 2025 तक, न्यायालय अपनी कारण सूची से विशेष मध्यस्थता अभियान के लिए पात्र मामलों की पहचान और सूची बनाएगा और इस अवधि में निपटारे की संभावना वाले मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, मध्यस्थता की कार्यवाही ऑफ़लाइन, ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में आयोजित की जा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऑनलाइन मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करेगा। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री सुभाष, प्रधान न्यायाधीश प्रथम मनीष रंजन, प्रधान न्यायाधीश कमलेश कुमार शुक्ला, विजय कुमार श्रीवास्तव, दुर्गेश चंद्र अवस्थी, अपर मुख्य नायक दंडाधिकारी पार्थ सारथी घोष, सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो एवं सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे।

District Legal Services Authority, Dhanbad

विवाद नहीं संवाद से बनेगा राष्ट्र मजबूत : प्रधान न्यायाधीश

धनबाद (कासं) : समाज में बढ़ रहे लगातार विवादों की संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्देश पर पूरे भारत में ९० दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नालसा एवं झालसा के निर्देश पर धनबाद में भी इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है।

इसी कड़ी में गुरुवार को धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने धनबाद जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुलह के योग्य मुकदमों को मध्यस्थता के लिए भेजने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान विभिन्न प्रकार के विवादों जैसे वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, विधिक सेवा प्राधिकार मयंक वाणिज्यिक विवाद, सेवा तुषार टोपनो ने बताया कि मामले, समझौता योग्य बढ़ते विवादों की संख्या को आपराधिक मामले, उपभोक्ता देखते हुए नालसा द्वारा राष्ट्र के विवाद, ऋण वसूली, विभाजन, लिए मध्यस्थता एक विशेष बेदखली, भूमि अधिग्रहण और अभियान की शुरुआत एक मध्यस्थता योग्य दीवानी मामले जुलाई पच्चीस से की गयी है। जिनका समाधान मध्यस्थता के जो ३० सितंबर तक चलाई जरिए निकालने का प्रयास किया जाएगी। इस अभियान में, जाएगा।

वहीं इस कार्यक्रम के बाबत पक्षकारों की सुविधा के लिए, जानकारी देते हुए अवर सप्ताह के सातों दिन मध्यस्थता न्यायाधीश सह सचिव जिला द्वारा मुकदमों के निपटाने के प्रयास किए जाएंगे।

१ से ३१ जुलाई तक न्यायालय अपनी कारण सूची से विशेष मध्यस्थता अभियान के लिए पात्र मामलों की पहचान और सूची बनाएगा, और इस अवधि में निपटारे की संभावना वाले मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता की कार्रवाई ऑफ़लाइन, ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में आयोजित की जा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऑनलाइन मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करेगा।

कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुभाष, प्रधान न्यायाधीश प्रथम मनीष रंजन, प्रधान न्यायाधीश कमलेश कुमार शुक्ला, विजय कुमार श्रीवास्तव, दुर्गेश चंद्र अवस्थी, अपर मुख्य नायक दंडाधिकारी पार्थ सारथी घोष, सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो एवं सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे।

विवाद नहीं संवाद से बनेगा राष्ट्र मजबूत : प्रधान न्यायाधीश

नव प्रदेश संवाददाता

विवादों के निपटारे के लिये 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम हुआ लॉंच

धनबाद। समाज में बढ़ रहे लगातार विवादों को की संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्देश पर पूरे भारत में 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम की शुरूआत की गई नालसा एवं झालसा के निर्देश पर धनबाद में भी इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है. इसी कड़ी में गुरुवार को धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने धनबाद जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुलह के योग्य मुकदमों को मध्यस्थता के लिए भेजने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि.यह अभियान विभिन्न प्रकार के विवादों जैसे वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण और मध्यस्थता योग्य दीवानी मामले जिनका समाधान मध्यस्थता के जरिए निकालने का प्रयास किया जाएगा. वहीं इस कार्यक्रम के बाबत जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि बढ़ते विवादों की संख्या को देखते हुए नालसा द्वारा राष्ट्र के लिए मध्यस्थता एक विशेष अभियान की शुरूआत एक जुलाई पच्चीस से की गयी है जो 30 सितंबर तक चलाई जाएगी.इस अभियान में, पक्षकारों की सुविधा के लिए, सप्ताह के सातों दिन मध्यस्थता द्वारा मुकदमों के निपटाने के प्रयास किए जाएंगे। 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2025 तक, न्यायालय अपनी कारण सूची से विशेष मध्यस्थता अभियान के लिए पात्र मामलों की पहचान और सूची बनाएगा, और इस अवधि में निपटारे की संभावना वाले मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही ऑफलाइन, ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में आयोजित की जा सकती है। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण ऑनलाइन मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करेगा। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुभाष, प्रधान न्यायाधीश प्रथम मनीष रंजन, प्रधान न्यायाधीश कमलेश कुमार शुक्ला, विजय कुमार श्रीवास्तव, दुर्गेश चंद्र अवस्थी, अपर मुख्य नायक दंडाधिकारी पार्थ सारथी घोष, सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो एवं सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे।

District Legal Services Authority, Dhanbad

विवाद नहीं संवाद से बनेगा राष्ट्र मजबूत- प्रधान न्यायाधीश

● विवादों के निपटारे के लिये 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम हुआ लॉच

पूर्वांचल सूर्य प्रतिनिधि

धनबाद। समाज में बढ़ रहे लगातार विवादों को की संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्देश पर पूरे भारत में 90 दिवसीय राष्ट्र के लिए मध्यस्थता कार्यक्रम की शुरुआत की गई नालसा एवं झालसा के निर्देश पर धनबाद में भी इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में विवादों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है। इसी कड़ी में गुरुवार को धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने धनबाद जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुलह के योग्य मुकदमों को मध्यस्थता के लिए भेजने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान विभिन्न प्रकार के विवादों जैसे वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण और मध्यस्थता योग्य दीवानी मामले जिनका समाधान मध्यस्थता के जरिए निकालने का प्रयास किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम के बाबत जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि बढ़ते विवादों की संख्या को देखते हुए नालसा द्वारा राष्ट्र के लिए मध्यस्थता एक विशेष अभियान की शुरुआत एक जुलाई 2025 से की गयी है की गई है जो 30 सितंबर 2025 तक चलाई जाएगी। इस अभियान में, पक्षकारों की सुविधा के लिए, सप्ताह के सातों दिन मध्यस्थता द्वारा मुकदमों के निपटाने के प्रयास किए जाएंगे।

1 जुलाई से 31 जुलाई, 2025 तक, न्यायालय अपनी कारण सूची से विशेष मध्यस्थता अभियान के लिए पात्र मामलों की पहचान और सूची बनाएगा और इस अवधि में निपटारे की संभावना वाले मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, मध्यस्थता की कार्यवाही ऑफ़लाइन, ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में आयोजित की जा सकती है। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण ऑनलाइन मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करेगा। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री सुभाष, प्रधान न्यायाधीश प्रथम मनीष रंजन, प्रधान न्यायाधीश कमलेश कुमार शुक्ला, विजय कुमार श्रीवास्तव, दुर्गेश चंद्र अवस्थी, अपर मुख्य नायक दंडाधिकारी पार्थ सारथी घोष, सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो एवं सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे।